शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255 (e): 2454-339X
Vol. X, No.III, pp (945-951) July - Sep. 2019

''सूक्ष्म, लघु और उद्योग (एम.एस.एम.ई) : सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के वाहक''

डॉ. अनूप सिंह सांगवान
एसो0 प्रोफे0,
राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद
Email: anupsangwan64@gmail.com

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो का अह्म योगदान है अर्थात् इन्हे अर्थ व्यवस्था की रीढ़ भी कहा जा सकता है क्योंकि इनका देश के निर्यातो (लगभग 45% हिस्सेदारी) में होने के साथ–साथ सकल घरेलु उत्पादन (जी.डी.पी.) में भी लगभग एक–तिहाई योगदान है। देश में रोजगार सृजन और आर्थिक तथा सामाजिक विकास की दिशा में इन उद्योगों का महत्व बड़े उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक है तथा एम.एस.एम.ई. न केवल स्व–रोजगार उपलब्ध करा रहा है वरन इसमें दूसरों को रोजगार देने की भी व्यापक सम्भावनाऐ हैं। वर्तमान में कार्यरत 7 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में देश में लगभग 12 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर विभिन्न क्षेत्रों में सृजित कर रहे है। कृषि क्षेत्र के बाद यह क्षेत्र रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित करता है ये उद्यम देश में हो रही जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि से उत्पन्न श्रम–शक्ति को आत्मसात करने तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाने में इंजन का कार्य करेगा। प्रस्तुत लेख में एम.एस.एम.ई. की परिभाषा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इनकी भूमिका तथा सरकार द्वारा इनके उत्थान की दिशा में उठाये गऐ कदमों व इनको आने वाली समस्याओं के वर्णन के साथ ही कुछ आवश्यक सुझावों पर विचार करेगें।

प्रस्तावनाः

1977 से पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों प्लांट व मशीनो में निवेश की सीमा क्रमशः एक लाख, 10 लाख एवं 15 लाख रूपये की थी। 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों में लधु क्षेत्र के लिए 60 लाख रूपये एवं मध्यम उद्यमों के इसे 75 लाख रूपये तथा सूक्षम उद्यमों के लिए यह राशी 5 लाख रूपये की गई। फिर 2000 में इसे सूक्ष्म उद्यमों हेतु 25 लाख रूपये एवं मध्यम उद्यमों के लिए निवेश सीमा 1 करोड़ रूपये की गई। 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा (7) में विनिर्माण इकाईयो के सम्बन्ध में, 'सयन्त्र और मशीनरी में निवेश' तथा सेवा उद्यमों के लिए 'उपकरण में निवेश' के मानदण्ड पर इन उद्यमों (एम.एस.एम. ई.) का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया हैः–

उद्यम	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
सूक्ष्म उद्यम	25 लाख रूपये तक	10 लाख रूपये तक
लघु उद्यम	25 लाख रूपये से 5 करोड़ तक	10 लख रूपये से 2 करोड़ तक
मध्यम उद्यम	5 करोड़ रूपये से 10 करोड़ तक	2 करोड़ से 5 करोड़ तक

एम.एस.एम.ई. की उपरोक्त परिभाषा सयन्त्र, उपकरण व मशीनरी पर आधारित होने के कारण से इसमें कोई खामियाँ थी। जिसकी वजह से यह भरोसे मन्द नहीं थी। इस वजह से इसको जुलाई 2017 से करोबार की राशी के आधार पर निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:–

उद्यम	**वार्षिक कारोबार की सीमा**
सूक्षम उद्यम	5 करोड़ रूपये से अधिक नहीं
लद्यम उद्यम	5 करोड़ रूपये से 75 करोड़ रूप्ये तक
मध्यम उद्यम	75 करोड़ से 250 करोड़ रूपये तक

इस नई परिभाषा से व्यवसाय करने में आसानी होगी तथा इन उद्यमों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार एवं आय बढ़ने में मदद मिलेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भूमिका

1. रोजगार

भारत की गम्भीर बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए इन उद्यमों का महत्व इस बात से स्पश्ट है कि ये उद्यम कृषि क्षेत्र को बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र है। 1972–88 के बीच समस्त उद्योग क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर 2.2% प्रति वर्ष थी जबकि एम. एस.एम.ई. क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। एक अनुमान के अनुसार एम.एस. एम.ई. में श्रम की गहनता बड़े उद्योगों की तुलना में लगभग चार गुणा है।

2. औद्योगिक उत्पादन में हिस्सेदारी

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की 68% इकाईयाँ सेवा–क्षेत्र तथा 32% इकाईयाँ विनिर्माण क्षेत्र में लगी है। यह क्षेत्र परम्परागत से लेकर उच्च–प्रौधोगिकी वाली विभिन्न प्रकार की 7000 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। 2018–19 में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र ने घरेलु उत्पादन का 6.11% तथा विनिर्मित उत्पादन का 33.5 प्रतिशत प्रदान किया। आजादी के बाद से निर्यात आय में सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्योगो का हिस्सा 1971–72 में 9.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में लगभग 45 प्रतिशत हो गया है।

3. स्थानीय पूंजी व उद्यमता का सही उपयोग

ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली छिपी हुई बेरोजगारी एवं सूक्ष्म बचतों को बड़े उद्योगो तक आसानी से नहीं पंहुचाया जाता लेकिन इनका स्थानीय स्तर पर एम.एस.एम.ई क्षेत्र द्वारा बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े उद्योगों की तुलना में स्थानीय स्तर के इन लघु उद्यमों में औधोगिक विवाद भी कम पाए जाते है।

4. यह उधम अधिक कार्य कुशलः–

एक अनुमान के अनुसार स्थिर पूंजी के एक रूपये के निवेश पर यह उद्यम सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, स्थिर पूंजी के एक रूपये के निवेश के बदले लद्यु उद्योग क्षेत्र में बड़े–क्षेत्र की तुलना में 'सात गुणा' उत्पादन होता है, तथा लघु उद्योगों में एक रूपये का निवेश बड़े उद्योगों की तुलना में 'तीन गुणा' से अधिक वर्धित मूल्य का सृजन करता है। इसी प्रकार लघु उद्योग पूरे औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार का लगभग 40 प्रतिशत प्रदान करते है तथा बड़े उद्योगों में एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिये 5 लाख रूपये का निवेश जरूरी है। जबकि लघु क्षेत्र में इतने ही निवेश से 7 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

5. विकेन्द्रीकरण से आय का समान वितरण

लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों की तुलना में स्थानीय स्तर पर सुविधा पूर्वक स्थापित किया जाता है तथा ये उधम स्थानीय संसाधनों का उत्तम प्रयोग करके यहा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं, परिणाम स्वरूप रोजगार सृजन की सामर्थ्य से राष्ट्रीय आय का बेहतर वितरण हो सकता है। इससे हमारे सामाजिक एवं आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यमों के सम्बन्ध में सरकारी नीतियाँ

बड़े उद्यमों की तुलना में लघु उद्यमों को काफी कठीनाईयों का सामना करना पड़ता है जैसे प्रतिस्पर्धा होना व सरक्षंण का अभाव। भारत सरकार ने एम.एस.एम.ई. के उत्थान एवं विकास हेतु विभिन्न नीतियों का निर्माण किया है जिनको मुख्यतौर से निम्नलिखित उप–विभागों में बाँट सकते हैः–

1. 1991 से पूर्व की नीति।
2. 1991 की नई नीति।
3. 1991 के बाद (2000) की नीति।

1. 1991 से पूर्व की नीति

1947 में भारत सरकार ने कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना, 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, 1954 में लघु उद्योग विकास निगम तथा 1979 में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई। इसी प्रकार लघु इकाईयों को और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टि कोण से 1988 में लघु उद्योग विकास फण्ड, 1987 में राष्ट्रीय इक्विटी फंड, 1988 में एकल खिड़की योजना तथा 1989 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। इन समस्त संस्थाओं का उद्देश्य लघु उद्योगों के विकास के लिए संगठनात्मक ढ़ांचे का निर्माण, इनके लिए योजना परिव्यय में वृद्धि, उत्पादन में सरंक्षण, बिक्री में सहायता, रियायतें व भिन्न प्रकार की छूटे प्रदान करके सहायता प्रदान करता था

2. 1991 की नई नीति

भारत सरकार ने एम.एस.एम.ई. को प्रोत्साहन देने के लिए अगस्त 1991 में एक नई नीति की घोषणा की। इसमें किए गए मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार से है–

– विनिर्माण क्षेत्र के साथ सेवा व्यावसायिक उद्यमों को इसमें शामिल किया गया।

– 'सस्ती साख' की अपेक्षा जोर 'साख पर्याप्ता' पर दिया गया।

– सरकारी खरीद कार्यक्रमों में अति लघुक्षेत्र को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई।

– सीमित सांझेदारी की व्यवस्था करना।

– कच्चे माल के वितरण में इन सूक्ष्म व लघु उद्योगों प्राथमिकता देना।

– उद्योग व कृषि क्षेत्र में अधिक कारगर सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1994 में समेकित आधारभूत संरचना विकास केन्द्र स्थापित किए गए।

3. 1991 के बाद की नीति एवं नवीनतम उपाए

30 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री ने इन उद्यमों के लिए एक व्यापक नीति की घोशणा की थी जिसके मुख्य तत्व इस प्रकार से हैः–

– इन उधमों में निवेश की उच्चतम सीमा को एम.एस.एम. ई अधिनियम 2006 में 1 करोड़ रूपये की राशी से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

– एक साख गारन्टी कोष की स्थापना की गई है जो वाणिज्य बैंको, ग्रामीण बैंको एवं अन्य वित्तीय सस्थांओ द्वारा दिए गए 1 करोड़ रूपये तक के ऋण की गारन्टी देगा तथा इस ऋण पर 15 प्रतिशत अनुदान पर उद्यमियों को दिया जाएगा।

– इन उद्यमों को 25 लाख रूपये तक का ऋण बिना जमानत के दिया जा सकेगा।

– भारतीय लद्युउद्योग विकास बैंक (सिडबी) अपने कोष में से दिए गए ऋण पर सामान्य ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर इन्हें ऋण उपलब्ध करायेगा।

– वर्ष 2010 में सरकार ने देश में इन उद्यमों को बेहतर सहायता प्रदान करने, उत्पादकता तथा प्रतियोगात्मकता एवं क्षमता निर्माण को बढ़ाने हेतु कलस्टर कार्यक्रम की घोषणा को लागू किया है व अब तक 477 कलस्टर बनाये जा चुके है।

– सरकार ने अगस्त 2008 में देश में अति लघु इकाईयों को साख सहबद्ध पूंजी सहायता कार्यक्रम आरम्भ किया जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार बढ़ाना है।

– 1 नवम्बर 2011 में रोजगार अवसर बढ़ाने, उत्पादन द्वारा आय बढ़ाने तथा गरीबी की समस्या का समाधान करने हेतु अपनी नई खरीद नीति की घोषणा की है जिसमें सभी सरकारी विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम, वस्तुओ तथा सेवाओं की अपनी खरीद में इन एम०एस०एम०ई० इकाईयों से 20 प्रतिशत हिस्सा तथा जिसमें 4 प्रतिशत अनुसूचित जातियो व अनुसूचित जन जातियो के उत्पादित वस्तुओ को अनिवार्य रूप से लेना होगा।

– 8 अप्रैल 2015 को लघु तथा अति लघु व्यवसायिक इकाईयों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने मुद्रा बैंक के गठन की घोषणा की इसके लिए 1 ट्रिलियन रूपये के कोष की स्थापना की गई है तथा इसमें एम.एम.एम.ई. क्षेत्र में स्टेंड–अप–इण्डिया के तहत ऋण के लिए तीन श्रेणियाँ तैयार की गई है। जिन्हें निम्न प्रकार से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और वो भी बिना गारन्टी दिए।

उद्यम	ऋण राशि	उपलब्ध कोश का हिस्सा
शिशु उद्यम	50,000 रूपये तक	40 प्रतिशत
किशोर उद्यम	5 लाख रूपये तक	35 प्रतिशत
तरूण उद्यम	10 लाख रूपये तक	25 प्रतिशत

इस योजना के तहत 12 करोड़ लाभार्थियों को 6 लाख करोड़ रूपये दिए जा चुके है व इनमें 9 करोड़ लाभार्थी महिलाऐं है।

– सन् 2016 में भारत सरकार ने नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देते हेतु 10,000 करोड़ रूपये का कोष बताया जिसका भुगतान लघु उद्योग विकास बैंक के जरिये होगा। इसमें से 600 करोड़ का ऋण–वितरण किया जा चुका है तथा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतू अब तक 74 स्टार्ट–अप को आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.सी. के तहत टैक्स में छूट भी प्रदान की गई।

– 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड–अप–इण्डिया कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत तकरीबन 1.25 लाख बैंक शाखाओं को एस.सी. /एस.टी. एवं महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस योजना द्वारा देश में 2.5 लाख नए उद्यमी बनायें जाऐगें। इस कार्यक्रम से मौजूदा वित्तीय ढाँचे और साख गान्टी योजना के निचले पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

– इन सब योजनाओं के साथ महिलाओं एवं समाज के वंचित वर्गो के लिए एम.एस.एम. ई. मन्त्रालय ने एक नई योजना–मिशन सोलर चरखा प्रारम्भ की है। जिसके तहत लगभग एक लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेगें।

– सरकार ने हाल ही में एम.एस.एम.ई. सम्पर्क–पोर्टल आरम्भ की है जिससे रोजगार प्रदाता कम्पनियाँ या संस्थान बढ़ती हुई प्रशिक्षित प्रतिभाशाली श्रम–षक्ति तक पहुंच कर उनको रोजगार प्रदान कर सकेगें।

– अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने व भारत को आकर्षक निवेश स्थल के तौर पर स्थापित करने के उद्देश्य से वित्तमंत्री सीतारामण ने 20 सितम्बर 2019 को घरेलु कम्पनियों के कॉरपोरेट टैक्स दर 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद की गई है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने वाली घरेलु नई कम्पनियों को मात्र 15 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट टैक्स देना होगा।

उपरोक्त सभी सरकारी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है तभी ये प्रयास सफल होते नजर आऐगे। एम.एस.एम.ई. मन्त्रालय गैर–कृषि क्षेत्रों में नए अवसरो को हस्तगत करने और लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। इसमें सम्भावनाओं से भरपूर एम.एस.एम.ई. के लिए न केवल नए आयाम सृजित होगें बल्कि यह भारत की बढ़ती अर्थ व्यवस्था और उसके समतुल्य विकास में भी महत्वपूर्ण योदान दे सकेगें।

एम.एस.एम.ई. की समस्याए

इन उद्यमों का भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन, निर्यात एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान है और सरकार भी आजादी के बाद से अब तक इन के लिए विस्तार व उत्थान के लिए

अपनी विभिन्न योजनाओं द्वारा निरन्तर प्रयासरत है, फिर भी इन उद्यमों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके परिणाम कई इकाईयाँ अस्वस्थता की शिकार हो जाती है तथा कई बार तो इनके बन्द होने की नौबत भी आ जाती है। मुख्यतौर से इन इकाईयों की समस्याऐ निम्न प्रकार से हैः–

1. खराब वित्तीय स्थिति

इन उद्यमों का पूंजीगत आधार काफी कमजोर होता है क्योंकि ये साझेदारी या अकेले स्वामित्व में चलते है। इन्हें महाजनसभा बड़े व्यापारियों से ऋण लेना पड़ता है क्योंकि बड़े बैंक इन्हें ऋण देने में सरकारी निर्देशों के बावजूद भी आना–कानी करते है। अगर ऋण प्रदान भी करते है तो इस की ऋण से कई गुणा जमानत की मांग करते है।

2. घिसी–पिटी मशीनरी

इन उद्यमों में प्रयोग किए जाने वाले यन्त्र एवं उपकरण परम्परागत होने की वजह से इनका उत्पादन घटिया स्तर का तथा उसकी कीमत भी अधिक आती है। परिणाम स्वरूप बाजार में बेचने में भारी कठिनाईयाँ सामने आती है। इसके साथ ही इनका उत्पादन लोगों की रूचि व फैशन की मांग के अनुरूप भी नहीं होता है तथा इन इकाईयों द्वारा मानक उत्पादन भी नहीं किया जाता व इनके संगठन का आभाव भी पाया जाता है जो इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है।

3. कच्चे माल की समस्या

अधिकांश एम.एस.एम.ई. अपने कच्चे माल की पूर्ति के लिए स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर है जो इनका दोहरा शोषण करते है। पहले तो कच्चा माल अधिक कीमत पर इन्हें देते है व बाद में इनका तैयार माल कम कीमत पर खरीदते है। जिससे इन उद्यमियो भारी आर्थिक नुकसान होता है।

4. आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण का दुष्प्रभाव

1991 के बाद से भूमंडलीकरण का दौर शुरू हो गया। जिससे औधोगिक लाईसेसिंग की समाप्ति, आरक्षण की कमी, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, प्रशुल्को में भी भारी मात्रा में कमी तथा मात्रात्मक प्रतिबन्धों को समाप्त किया गया है। परिणाम स्वरूप ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उघमी विदेशी उद्यमों से प्रतियोगिता करने में असफल हो रहे है विषेश रूप से चीन देश की साथ में जिसका माल काफी आकर्षक एवं सस्ता होता है।

5. अन्य समस्याएँ

यद्यपि इन उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो विभिन्न एजेंसियाँ बनाई है परन्तु उनमें परपस्पर सहयोग एवं तालमेल का अभाव होने की वजह से आशातित सफलता नहीं मिलने पा रही है तथा अब भी पुरानी तकनीक, कच्चे माल की कमी, बिजली, पानी, सड़को, यातायात एवं संचार साधनों की कमी, प्रबन्धकीय एवं तकनीक कौशल की कमी के वजह से, उत्पादन लागत की अधिकता व गुणवत्ता में गिरावट जैसी बाधाऐ इन उद्यमों के विकास में बाधक सिद्ध हो रहे है।

सुझावः

सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जा सकता है क्योंकि देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है तथा इनमें वर्ष 2022 तक 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिलवाने की क्षमता है इसके लिए हमें निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान देने की आवष्यकता है–

1. देश में अधिक से अधिक श्रम–प्रधान उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए।
2. इसके साथ ही उद्यमों को कुशल श्रामिक उपलब्ध करवाने हेतु सभी शिक्षण सस्थाओं में छात्रों को तकनीक एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
3. इन उद्यमों को सही समय एवं पर्याप्त मात्रा में आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
4. इनको सही कीमतो पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाए तथा इन उद्यमों का तैयार माल उचित कीमतो पर बाजार तक सुगमता से पहुंचाया जाए।
5. सरकार एक सशक्त आधारभूत ढांचे का निर्माण करे ताकि इन उद्यमों को बिजली, सड़के, यातायात व संचार जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।
6. मौजूदा आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए सरकार का पूरा जोर इन उद्यमों को उभारने के इर्द–गिर्द होना चाहिए।

संक्षेप में, भारत उत्साह एवं साहस से लैस युवाओं का देश है जिन्हे सक्षम एवं सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के जरिये उनमें आत्म–विश्वास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि उद्यमिता सम्बन्धी क्षमताओं को सशक्ति प्रदान करके सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर बहुआयामी प्रगति हासिल की जा सकें।

References:

1 Bishwanath Goldar, *"Employment Growth in modern small scale industries in India,"* Journal of Indian School of Political Economy, Vol V. No. 4, 1993, P-**658**

2 J.S. Sandesra, *"New small enterprise policy. Implication and Propsects,"* Economic and Political Weekly, October 19, 1991, P-**2426**

3 Kurkshetra, Ministry of Information & Broad Casting, New Delhi, Vol.5, March – 2018, P- **50-52**

4 Rakesh Mohan, "*Small-Scale industry policy in "India: A critical Evaluation"*, in Anne O. Krueger (ed) Economic Policy Reforms and the Indian Economy (New Delhi-2002) P. **214.**

5 Small Industries Development Bank of India, SIDBI Report on Small Scale Industries Sector, 1999 (Lucknow)

6 Shukla S (2018) GEM India Report 2016-17, Emerlad Publishing India, New Delhi.

7 *Yojana,* Ministry of Information & Broad casting, New Delhi. Vol-09 Sept – 2018, P.**58-60** & Vol-10, October-2018, P.**28-30**